

प्रेस – विज्ञप्तिथाना- बरदहग्राम भदेठी में अज्ञात हत्या का सफल अनावरण, सम्पत्ति बंटवारे के विवाद को लेकर षडयंत्र के तहत गोली मार कर एवं गला रेत कर हत्या करने वाले शातिर 03 गिरफ्तार, हत्या में प्रयुक्त अवैध तमंचा एवं चापड़ बरामद।

दि0 02.03.2022 को वादी श्री अशफाक अहमद पुत्र मो0 मुस्ताक निवासी ग्राम भदेठी थाना बरदह जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत की गयी कि वादी के पिता मो0 मुस्ताक – 65 वर्ष द्वारा खेत में पानी लगाने जाने एवं वापस न आने पर खेत पर जाकर देखा गया कि जुबैर के इंजन पर वादी के पिता मो0 मुस्ताक की किसी अज्ञात द्वारा गला रेतकर हत्या कर दिया गया है, के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 55/22 धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही थी। इसी क्रम में -

**पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य** द्वारा द्वारा मुकदमा उपरोक्त का अनवारण एवं सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर जनपद आजमगढ़ के कुशल निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी लालगंज के नेतृत्व में दिनांक- 04.06.22 को SHO धर्मेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह मुकदमा उपरोक्त की विवेचना में बयान वादी व गवाहान मृतक की पत्नी मुबरकुन निशा व बेटी परवीन व तसलीम के बयान व मुखबिर की सूचना पर ग्राम मानीकला से संदिग्ध व्यक्ति बेलाल पुत्र इरफान अहमद सा0 मानीकला थाना खेतासराय जनपद आजमगढ़ की गिरफ्तारी हेतु उसके घर पर दविश दी गई अभि0 बेलाल उपरोक्त अपने घर पर मौजूद मिला जिससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो अभियुक्त उपरोक्त द्वारा अपनी बहन सिहरत जहाँ पत्नी मेराज निवासी ग्राम भदेठी थाना खेतासराय जनपद जौनपुर व अपने भाई जमशेर पुत्र इरफान अहमद सा0 मानीकला थाना खेतासराय जनपद आजमगढ़ के साथ षडयंत्र करके मुकदमा उपरोक्त की घटना कारित करने की बात बताई जिसे कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 04.30 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया एवं अभियुक्त की निशादेही पर आलाकतल एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद चापड़ बरामद करते हुए गिरफ्तार अभियुक्त को सिहरत जहाँ के घर पहुंचे जहाँ अभियुक्त जमशेर व अभियुक्ता सिहरत जहाँ घर पर मौजूद मिले जिन्हे कारण गिरफ्तारी बताकर समय 07.00 बजे हिरासत में लिया गया। एवं नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु रवाना किया गया।

**पूछताछ का विवरण-** अभियुक्त बेलाल ने बताया कि करीब 7- 8 साल पहले मेरी बहन सिहरत जहाँ की शादी मेराज पुत्र मुस्ताक निवासी भदेठी के साथ हुई थी। शादी के बाद कुछ दिन तक सब ठीक चलता रहा मुस्ताक अपनी सम्पत्ति में अपने लड़को के अलावा लड़कियों को भी हिस्सा देना चाहते थे एवं छोटी बहू सेहरत जहाँ को बेदखल करना चाहते थे जिसका अन्दर अन्दर मुस्ताक के लड़के विरोध करते थे एवं मेरी बहन सिहरत जहाँ उनके इस कार्य का खुलकर विरोध करती थी जिसके कारण उसको मुस्ताक तरह तरह की यातनाएँ देते थे जब मैं बहन से मिलने जाता था तो वह पूरी बात बताती थी। एक दिन मेरा बड़ा भाई जमशेर मुझसे कहे कि मुस्ताक को हम लोग कई बार समझा चुके क्यो न इसका काम तमाम कर दिया जाय। घटना से करीब एक हफ्ता पहले जमशेर भाई व बहन सिहरत जहाँ तथा मैं बहन के घर ही बैठ कर योजना बनाए तथा मुस्ताक को ठिकाने लगाने के लिए सही अवसर का इन्तजार करने लगे किसी को शक न हो इस लिए जमशेर एक दिन पहले ही खेता सराय में एक हास्पिटल में भर्ती हो गये दिनांक 01.03.2022 को शाम करीब साढ़े पाच छः बजे के बीच मैं अपनी बहन सिहरत जहाँ के पास आया तो वह अपने घर से चापड़ लाकर मुझे दी तथा बताई कि मेरे ससुर मुस्ताक खेत में पानी लगाने गये हैं आज मौका अच्छा है उनका काम तमाम कर दीजिए। तब मैं बहन के बताए अनुसार खेत की तरफ गया सिहरत जहाँ सड़क पर ही निगरानी करती रही खेत पर पहुंचने पर जैसे ही वे पाइप लपेट कर साइकिल पर बांध कर घर के लिए चलने के लिए तैयार हुए तभी मैं पीछे से उनके करीब पहुंचकर अपने पास लिए तमंचे से उनकी कनपटी में गोली मार दिया। वे जमीन पर गिर कर तड़पने लगे तब बहन द्वारा दिये गये चापड़ से उनका गला काट दिया जिससे बचने की कोई सम्भावना न रह जाए। उसके बाद मैं खेतों से होते हुए अपने घर की तरफ भाग गया। चापड़ व तमंचा मैंने रास्ते में जावेद के ट्यूवेल के पास जमीन में दबा दिया

**अपराध का तरीका-** अभियुक्ता सेहरत जहाँ की साजिश के तहत अभि० अभि० जमशेर एवं बेलाल द्वारा वादी अशफाक अहमद पुत्र मो० मुस्ताक निवासी ग्राम भदेठी थाना बरदह जनपद आजमगढ के पिता मो० मुस्ताक – 65 वर्ष की गोली मार कर एवं गला रेत कर हत्या कर देना ।

**पंजीकृत अभियोग-**

मु०अ०स० 55/22 धारा 302/120बी भा०द०वि० व 3/25 एवं 4/25 शस्त्र अधि०

**गिरफ्तार अभियुक्त –**

- 1- बेलाल पुत्र इरफान अहमद सा० मानीकला थाना खेतासराय जनपद आजमगढ
- 2- सिहरत जहाँ पत्नी मेराज निवासी ग्राम भदेठी थाना खेतासराय जनपद जौनपुर
- 3- जमशेर पुत्र इरफान अहमद सा० मानीकला थाना खेतासराय जनपद आजमगढ

**बरामदगी-**

एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद (आलाकत्ल चापड)

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

धर्मेन्द्र कुमार सिंह ( प्रभारी निरीक्षक ) थाना बरदह जनपद आजमगढ

शमशेर यादव ( व०उ०नि०) आदित्य मिश्रा, ( आरक्षी ) थाना विजय प्रकाश कुशवाहा, ( आरक्षी बरदह जनपद आजमगढ

सौरभ सिंह, ( आरक्षी ) सूरज सिंह ( आरक्षी ) प्रीति पटेल ( महिला आरक्षी ) थाना बरदह जनपद आजमगढ